संख्या-105/2025/आई/889501/23-1-25/001-23-1002(002)/204/2023-Part-1

प्रेषक,

राजेश प्रताप सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-1 **लखनऊ::दिनांक 24 फरवरी, 2025**

विषय- वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान सं0-58 लेखाशीर्षक-5054 के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 से पूर्व के वर्षों के 07 लैप्स कार्यों हेतु हेतु अवशेष धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या-3449सी/205सी/5054-अप्राप्त साख सीमा/2023-24 , दिनांक 03.02.2025 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्न विवरणानुसार **वित्तीय वर्ष 2022-23 से पूर्व के वर्षों में विभिन्न जनपदों के कुल 07 स्वीकृत कार्यों हेतु लैप्स हुई कुल धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 2,11,72,000/-(रूपये दो करोड़ ग्यारह लाख बहत्तर हजार मात्र) की धनराशि** चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान सं0-58 के **लेखाशीर्षक-5054** के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से स्वीकृत/निर्गत किये जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	मूल स्वीकृत शासनादेश संख्या/ वित्तीय वर्ष 2023-24 में स्वीकृत शासनादेश संख्या व दिनांक	स्वीकृत लागत	लैप्स धनराशि	वर्ष 2023-24 में लैप्स धनराशि के सापेक्ष आवंटन	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	CD-2 Raibareilly	अटरी सम्पर्क मार्ग के किमी0-3 से मालती(मौलवी) सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	86 /2022/21 रासनि/23-1-22-10 रासनि /21 टीसी 2 दिनांक 30.03.2022 **एवं** 43/2024/आई/491336/23-1-24/23-1002(002)/2024/2023 पार्ट-1, दिनांक 09.02.2024	180.20	47.83	28.70	19.13
2	CD-2 Raibareilly	आर0जी0के0एस0 मार्ग किमी0-28 से नौगवां सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	86 /2022/21 रासनि/23-1-22-10 रासनि /21 टीसी 2 दिनांक 30.03.2022 **एवं** 43/2024/आई/491336/23-1-24/23-1002(002)/2024/2023 पार्ट-1, दिनांक 09.02.2024	173.04	45.41	27.25	18.16
3	CD-2 Raibareilly	दुर्जनपुर सम्पर्क मार्ग के नवनिर्माण कार्य।	86 /2022/21 रासनि/23-1-22-10 रासनि /21 टीसी 2 दिनांक 30.03.2022 **एवं**	98.33	35.56	21.34	14.22

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्र0 सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	मूल स्वीकृत शासनादेश संख्या/ वित्तीय वर्ष 2023-24 में स्वीकृत शासनादेश संख्या व दिनांक	स्वीकृत लागत	लैप्स धनराशि	वर्ष 2023-24 में लैप्स धनराशि के सापेक्ष आवंटन	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
			43/2024/आई/491336/23-1-24/23-1002(002)/2024/2023 पार्ट-1, दिनांक 09.02.2024				
4	PD Varanasi	श्रीनगर कालोनी के संपर्क मार्ग के किनारे दोनो तरफ पटरी पर सी0सी0 इन्टरलांकिग टाइल्स लगाने का कार्य।	86 /2022/21 रासनि/23-1-22-10 रासनि /21 टीसी 2 दिनांक 30.03.2022 **एवं** 43/2024/आई/491336/23-1-24/23-1002(002)/2024/2023 पार्ट-1, दिनांक 09.02.2024	226.73	45.35	27.21	18.14
5	PD Varanasi	धरसौना सिन्धौरा वाया चांदपुर मवैया मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य	86 /2022/21 रासनि/23-1-22-10 रासनि /21 टीसी 2 दिनांक 30.03.2022 **एवं** 43/2024/आई/491336/23-1-24/23-1002(002)/2024/2023 पार्ट-1, दिनांक 09.02.2024	926.03	75.00	37.50	37.50
6	CD Deoria	मुसैला से भागलपुर मार्ग के किमी 17.00 से 22.500 तक (अजिमा) का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	24 /2021/1002 रासनि/23-1-20-235 रासनि/16 दिनांक 21.01.2021 **एवं** 43/2024/आई/491336/23-1-24/23-1002(002)/2024/2023 पार्ट-1, दिनांक 09.02.2024	1046.02	199.04	99.52	99.52
7	PD Auraya	तिवारी का पुर्वा से भिजाई सम्पर्क मार्ग के नवनिर्माण का कार्य।	133/2021 /644 रासनि/23-1-21-60 रासनि/20 दिनांक 26.03.2021 **एवं** 43/2024/आई/491336/23-1-24/23-1002(002)/2024/2023 पार्ट-1, दिनांक 09.02.2024	118.89	25.00	18.75	5.05
						कुल योग-	**211.72**

(1) प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में **31** मार्च, **2025** तक कर लिया जाय। कार्य सम्पादन के अनुरूप उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को दिनांक **30** अप्रैल, **2025** तक उपलब्ध करा दिया जाय। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इस कार्य के लिए किसी अन्य आदेश से स्वीकृत/आवंटन तो प्राप्त नहीं है और यदि दोहरी स्वीकृति पायी जाय तो उस स्वीकृति को निरस्त कराते हुए सम्बन्धित कार्य पर आवंटित धनराशि शासन को तत्काल समर्पित की जाय।

(2) लेबरसेस की एक प्रतिशत धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(3) प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि के सापेक्ष व्यय वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, स्थायी आदेशों आदि तथा सड़क निधि नियमावली में किये गये प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में न किया जाय।

(4) राज्य सड़क निधि हेतु गठित प्रबंधन समिति द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं/ प्रयोजनों के लिये ही स्वीकृत/आवंटित धनराशि का उपयोग किया जायेगा। यह सुनिश्चित किया जाय कि जिन प्रयोजनों हेतु राज्य सड़क निधि से धनराशि स्वीकृत हुई है वह उसी प्रयोजन हेतु व्यय की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

(5) समस्त कार्य निर्धारित व अनुमोदित मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरूप सम्पादित कराया जाय ताकि उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। यदि किसी अपरिहार्य परिस्थितिवश निर्धारित मानकों/विशिष्टियों में परिवर्तन किया जाना अपेक्षित हो तो, उक्त परिवर्तन/विचलन शासन की पूर्वानुमति से ही किया जाय।

(6) इस निधि से स्वीकृत कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का सक्षम स्तर पर सम्यक निरीक्षण/सत्यापन कर प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक माह शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(7) अवमुक्त की जा रही धनराशि के व्यय से पूर्व उपर्युक्त परियोजनाओं के संबंध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक मूल शासनादेशों एवं यथा पुनरीक्षित शासनादेशों की शर्तों तथा उक्त के संबंध में वित्त विभाग के समस्त सुसंगत शासनादेशों की शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 एवं शासनादेश संख्या-35/2024/बी-2-768/दस-2024-244/2024(II), दिनांक 27.12.2024 तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय **कुल रू0 2,11,72,000/-(रूपये दो करोड़ ग्यारह लाख बहत्तर हजार मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-58 **लेखाशीर्षक 5054043375800** राज्य सड़क निधि से सड़कों का निर्माण/सुदृढ़ीकरण/चौड़ीकरण मानक मद 24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
राजेश प्रताप सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-105/2025/आई/889501(1)/23-1-25/001-23-1002(002)/204/2023-Part-1, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, मा0मंत्री जी/मा0राज्य मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम एवं द्वितीय उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
4- मुख्य अभियंता (मुख्यालय-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
5- मुख्य अभियंता, संबंधित क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग।
6- संबंधित अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0।
7- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8- वेब मास्टर, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
9- वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
10- लोक निर्माण अनुभाग-10/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0शासन।
11-. नोडल अधिकारी (आनलाइन बजट एलॉटमेंट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अभिषेक गंगवार
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in